झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–143 / 2019

1. मानिक च0 गोप, पे0–स्वर्गीय गोकुल गोप
2. कृष्ण मुरारी भकत, पे0–अमृत लाल भकत
3. बिश्व नाथ बेरा, पे0–स्वर्गीय बासुदेव बेरा, सभी निवासी ग्राम–मऊभंडर, डाकघर–मऊभंडर, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम
4. कुशल मय साह, पे0–स्वर्गीय समरेल दास
5. सुनंदा कुमार महापात्रा, पे0–स्वर्गीय कांता मोहापाता
6. अब्दुल होय अंसारी, पे0–स्वर्गीय मो0 सईद अंसारी, सभी गाँव मऊभंडर, डाकघर– मऊभंडर, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम

.....याचिकाकर्त्ता(एस)

बनाम्

1. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम जिसका पंजीकृत कार्यालय, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, घाटशिला, डाकघर एवं थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड) में है।
2. कार्यकारी निदेशक, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, घाटशिला, डाकघर एवं थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम
3. अध्यक्ष, आई0सी0सी0 मिडिल स्कूल, मऊभंडर, डाकघर–मऊभंडर, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रांची .....विरोधी पक्ष (पक्ष)

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री ए0के0 सिन्हा, अधिवक्ता।

विपक्ष के लिए : श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता।

4 / 28.2.2020 यह आवेदन सिविल रिब्यू सं0–25 / 2008 की पुनः स्थापन के लिए दायर किया गया है, जिसे दिनांक 5.11.2012 के आदेश का पालन न करने के चूक के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सिविल रिब्यू सं0–25 / 2008 की पुनःस्थापन के लिए इस आवेदन के पैराग्राफ संख्या 3, 4 और 5 में पर्याप्त आधार का वर्णन किया गया है।

विपरीत पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क का पुरजोर विरोध किया और कहा कि एक भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है कि दिनांक 5.11.2012 के आदेश से सात साल की देरी के बाद पुनःस्थापन आवेदन क्यों दायर किया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय पाता है कि सिविल रिब्यू सं0–25/2008 की पुनःस्थापन हेतु सी0एम0पी0 दाखिल करने में सात वर्षों की देरी के बारे में कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। इस तरह, सात साल बाद इस आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

तद्नुसार, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

(डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0)